

## अध्याय-13

# निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

31.2.2004 को समाप्त होने वाली अवधि तक निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति  
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया

समूह	नियोक्ताओं की संख्या	निशक्त व्यक्तियों की संख्या			योग बीएल+एच आई +एलडी	निशक्त व्यक्तियों का आयु प्रतिशत (कॉलम 3 और कॉलम 1)	किसी स्थिति में कॉलम 4 कम है 3 प्रतिशत कारणों से इसलिए*	खाली पदों को भरने के लिए जो कार्रवाई की गई	टिप्पणी
	(1)	BL	HI	LD	(3)	(4)	(5)*	(6)*	(7)*
अ	15897	0	3	35	38	0.24			
ब	44371	5	57	276	338	0.76			
स	90612	16	73	517	606	0.67			
अ	1295	0	1	2	3	0.23			
<b>योग</b>	<b>152175</b>	<b>21</b>	<b>134</b>	<b>830</b>	<b>985</b>	<b>0.65</b>			

1999 से 2003 की अवधि के दौरान हुई भारी वित्तीय हानि के कारण कम्पनी में कार्मिकों की कोई भर्ती नहीं हुई। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने 2000 में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है जिनमें अन्य परिवर्तनों कारोबार एवं वित्तीय समग्र परिवर्तन के लिए निष्पादन में सुधार करने के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना लागू करने के जरिए वर्ष 2005 के अंत तक श्रम शक्ति कम करके 1,0000 करने की परिकल्पना की गई है।

**बीएल** – अंधता एवं कम दृष्टि **एचआई** – बधिरता

**एलडी** – गति विषयक अपंगत अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात

### एनएमडीसी लिमिटेड

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन वर्ष 2004-05 (अप्रै. से दिस. 2004) के दरम्यान

कर्मचारियों की संख्या	निशक्त व्यक्तियों की संख्या			योग बीएल+एच आई +एलडी	निशक्त व्यक्तियों का आयु प्रतिशत (कॉलम 3 और कॉलम 1)	किसी स्थिति में कॉलम 4 कम है 3 प्रतिशत कारणों से इसलिए*	खाली पदों को भरने के लिए जो कार्रवाई की गई
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)
समूह	बीएल	एचआई	एलडी				
अ 988	—	—	3	1+2+32	0.61%	हम अपने खानों में ज्यादातर तकनीकी पदों पर लोक भर्तियां कर रहे हैं। खान अधिनियम के प्रावधानों के और दूसरे खान विनियमों कारण खानों में अपंग व्यक्तियों की बहाली संभव नहीं है	एनएमडीसी में जब कभी गैर तकनीकी क्षेत्रों में उस तरह की भर्तियां होती हैं तो शारीरिक रूप से अपंग भर्ती के प्रयास किए जाएंगे।
ब 1040	—	—	10				
स 2474	1	2	15				
द 1162	—	—	4				
5664	1	2	32	35			

**बीएल** – अंधता एवं कम दृष्टि **एचआई** – बधिरता

**एलडी** – गति विषयक अपंगत अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात

निःशक्तता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत से कम नहीं, जिसमें 1 प्रतिशत प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो अंधापन और अल्प दृष्टि से प्रभावित हो (ii) सुनने में अपंगता (iii) लोकोमीटर या सेरेब्रल पाल्सी।



## एमएसटीसी लिमिटेड

### निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन वर्ष 2004-05 (दिस. 2004 के अनुसार) नीचे दिया जा रहा है

नियोक्ताओं की संख्या	निशक्त व्यक्तियों की संख्या		योग बीएल+एच आई +एलडी	निशक्त व्यक्तियों का आयु प्रतिशत (कॉलम 3 और कॉलम 1)	किसी स्थिति में कॉलम 4 कम है 3 प्रतिशत कारणों से इसलिए	खाली पदों को भरने के लिए जो कार्रवाई की गई
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
समूह	एचआई	एलडी				
अ	129	1	1	2	1.53	
ब	112	1	2	3	2.67	*
स	23	-	1	1	4.34	
द	27	1	-	1	3.70	
योग	291	3	4	7	2.39	

**बीएल** – अंधता एवं कम दृष्टि      **एचआई** – बधिरता

**एलडी** – गति विषयक अपंगत अथवा प्रमत्तिकीय पक्षाघात

## मैगनीज़ ओर इंडिया लिमिटेड

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रस्ताव वर्ष 2003-04 के लिए

	31.3.2004 तक नियोक्ताओं की कुल संख्या	पदों की संख्या की पहचान की गई जहां शारीरिक रूप से अपंग लोगों की भर्ती की जा सकती है	निशक्त व्यक्तियों की संख्या बीएल एचआई एलडी	कॉलम के संदर्भ में प्रतिशत	किसी स्थिति में कॉलम 4 कम है 3 प्रतिशत कारणों से इसलिए	खाली पदों को भरने के लिए जो कार्रवाई की गई
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
अ -	203	30	—	—		
ब -	164	85	—	—	*	*
स -	1423	260	8	3.07%		
स -	5379	95	7	7.36%		

चूंकि मैगनीज़ ओर इंडिया लिमिटेड खनन कम्पनी है और इसके प्रमुख कार्य दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित भूमिगत खानों में किए जाते हैं, अतः खान अधिनियम और धात्विक लौह खनिज विनियम के अंतर्गत साविधिक प्रतिबंधों के कारण तथा सुरक्षा की दृष्टि से खानों में कठोर प्रवृत्ति के कार्यों पर निःशक्त व्यक्तियों को तैनात नहीं किया जा सकता है। पिछले 5-6 वर्षों में कोई सीधी भर्ती नहीं की गई। तथापि जब भी इन अभिज्ञात संवर्गों में रिक्त होगी विक्लांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में इस पर ध्यान रखा जाएगा।